राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1815/2011/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–सी, जोधपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स उत्सव रेफ्रीजरेशन, प्रा.लि., जोधपुर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.एस.राठौड़,
उप–राजकीय अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.एम.मेड़तिया,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :31.03.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–सी, जोधपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स–प्रथम), जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **28.02.2011** के विरूद्ध पेश की गयी थी, जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23/24 के तहत् निर्धारण वर्ष 2006–07 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 24.03.2009 के जरिये कायम मांग राशि 1,05,431/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के साथ अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 23/24 के तहत् निर्धारण आदेश दिनांक 24.03.2009 को आदेश पारित कर, तद्नुसार मांग राशि कायम की गयी । उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर, कतिपय निर्देशों के साथ प्रकरण को निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

लगातार.....2

4. राजस्व की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन किया ।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिवक्ता ने आपत्ति उठाकर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक **22.04.2013** की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक **28.02.2011** के जरिये अपील स्वीकार कर, प्रकरण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक **22.04.2013** के जरिये प्रतिप्रेषित प्रकरण का निस्तारण कर दिया है। अतः प्रकरण के निस्तारित हो जाने के कारण, विवादाधीन प्रकरण में अपीलीय आदेश दिनांक **28.02.2011** के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील "सारहीन" हो गयी है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

(i)सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)

(ii)सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर. टी.जे.एस 8 । (राज.)

(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, ऐन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)

(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

(v) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स ऊंझा फार्मेसी, उदयपुर अपील संख्या 2052/2005/उदयपुर 27 टैक्स अपडेट 205 (आर.टी.बी.)

6. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी है ।

7. उप–राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी द्वितीय आपत्ति के जवाब में कथन किया कि प्रस्तुत अपीलें "**सारहीन**" (INFRUCTUOUS) नहीं हुयी है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है :–

लगातार.....3

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 मेवाड़ वेल्डिंग वर्क्स **119 एस.टी.सी. 576** । (राज.)

2. वा.क.अ. राजसमन्द बनाम् मै0 होनेस्टी आयरन एण्ड हार्डवेयर स्टोर, कांकरोली **25 आर.टी.जे.एस.79** । (आर.टी.टी.)

8. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, प्रस्तुत अपील को उठायी गयी आपत्तियों के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुणों पर निर्णित करने की पुनः प्रार्थना की गयी। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा गुणावगुण पर सामान्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। अतः अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

9. उभयपक्षीय बहस का मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया । अध्ययन करने के पश्चात् इस पीठ के विनम्र मतानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59 व 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण के न्यायिक निर्णय 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)** तथा कर बोर्ड की समन्वय पीठ के प्रोद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में, आदेश दिनांक **22.04.2013** पारित किये जाने के फलस्वरूप, प्रस्तुत अपील ''सारहीन'' हो गयी है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, गुणावगुण के बिन्दु पर विचार किये बिना ही उठायी गयी द्वितीय प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर, प्रस्तुत अपील ''सारहीन'' घोषित कर, अस्वीकार की जाती है।

10. परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

31.3.2014

(मदन लाल)
सदस्य